

कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग सीकर

(Email id : ddcids.sikar@gmail.com , दूरभाष नम्बर : 01572 250016)

क्रमांक : 3496

दिनांक : 26/12/2023

विज्ञप्ति संख्या-02

जिले की अधीनस्थ परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र. सं.	परियोजना कार्यालय का नाम एवं ई-मेल आईडी	रिक्त पदों का विवरण मय आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
1.	दांतारामगढ़ cdpodtr@gmail.com	कार्यकर्ता-ठेहट, वार्ड नं. 06 (नया वार्ड नं. 08) लोसल(अनुसूचित जाति), सांगलिया द्वितीय सहायिका-रामगढ़-5, खाटू द्वितीय, सामेर, वार्ड नं. 8 (नया वार्ड 10) लोसल, सामी द्वितीय
2.	धोद cdpodhod@gmail.com	कार्यकर्ता-गोठड़ा तगेलान-1 सहायिका-शाहपुरा-2, आंतरी
3.	फतेहपुर cdporuralfatehpur@gmail.com	सहायिका-हरसावा ए, पालास, आलमास
4.	खण्डेला asocdpokdl@gmail.com	सहायिका-बाबू बस्ती जुगलपुरा
5.	लक्ष्मणगढ़ cdpolachhmangarhsikar@gmail.com	कार्यकर्ता-मिरण द्वितीय, रूल्याणी माली, बीदासर द्वितीय, मानासी सहायिका-पाटोदा प्रथम, तुनवा, झीलमिल, खीरवा प्रथम, डूडवा, भैरूपुरा, बलारा द्वितीय, बगड़ी द्वितीय
6.	नीमकाथाना cdponkt1991@gmail.com	कार्यकर्ता-काचरेड़ा सहायिका-दयाल का नांगल, महावा सी, पाटन बी
7.	पिपराली cdpopiprali0@gmail.com	सहायिका-रायपुरा 164(अनुसूचित जाति), रैवासा 101, बेरी 139, अजबपुरा 76, चन्दपुरा 12, श्यामगढ़ 62(अनुसूचित जाति) गुढखुर्द 68, खेजरवाला जोहड़ा 50, बृसिंहपुरा 162, दुल्हेपुरा 176
8.	सीकर शहर cdposikarcity@gmail.com	सहायिका-1-1 वार्ड नं. 02 नया (अल्पसंख्यक), 6-3 वार्ड नं. 15 नया(अल्पसंख्यक), 28-1 वार्ड नं. 33 नया, 36-2 वार्ड नं. 05 नया(अल्पसंख्यक), 42-2 वार्ड नं. 56 नया
9.	श्रीमाधोपुर cdpo.srimadhohpur2000@gmail.com	सहायिका-नाथुसर ए, राजावाला जोहड़ा दिवराला, रा.बा.प्रा. विद्यालय मउ, नालोट बी

- ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- आवेदक का विवाहित होना अनिवार्य है।
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बन्धी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
- विधवा हेतु प्रमाण-पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

विज्ञप्ति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा
कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी

10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
11. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
12. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (5) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA/O-level/Tally के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (9) विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तोवेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जावे।
13. जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
14. आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः विज्ञप्ति जारी होने से 30 दिवस के भीतर जमा करा सकेंगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
15. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा।
16. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 से प्राप्त की जा सकती है।
17. सभी आवेदक आवेदन पत्र की प्राप्ति रशीद अवश्य प्राप्त करें।

क्रमांक : 3497-07

प्रतिलिपि :- निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, सीकर
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर
4. श्रीमान जनसम्पर्क अधिकारी, सीकर
5. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला सीकर
6. श्रीमान ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला सीकर
8. आयुक्त नगर परिषद, जिला सीकर
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त जिला सीकर।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त जिला सीकर को भेजकर लेख है कि आगामी ग्राम सभा में उक्त रिक्त पदों के चयन की कार्यवाही विभागीय परिपत्रों के अनुसार कराना सुनिश्चित करें। साथ ही परियोजना एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

सीकर

दिनांक : 26/12/2023

उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

सीकर